POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 31.01.2026

1. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 15 लैपटॉप, 04 मोबाइल फोन, 02 मोटरसाइकिल (अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.01.2026** को **थाना फेस-3 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त 1.आमिर खान उर्फ कालू पुत्र शरीफ खान 2. अभिषेक कुमार पुत्र जयप्रकाश 3. योगेन्द्र चौहान उर्फ लंका पुत्र शिवनन्दन सिंह चौहान 4. अर्जुन पुत्र प्रेमचन्द्र को टीपीनगर चौराहे के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के चोरी के 15 लैपटॉप,4 मोबाइल फोन, 02 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भिन्न-भिन्न स्थानों से लैपटॉप, मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल चोरी की जाती थी चोरी करने के पश्चात् लैपटॉप, मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल को सस्ते दामों में ले जाकर बेच देते थे। अभियुक्तगण चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त धनराशि को आपस में बाँट लिया करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- आमिर खान उर्फ कालू पुत्र शरीफ खान निवासी ग्राम गढ़ी चौखण्डी, थाना-फेस-3, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 23 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 9वीं।
2- योगेन्द्र चौहान उर्फ लंका पुत्र शिवनन्दन सिंह चौहान निवासी ग्राम रोहली, थाना तालग्राम, कन्नौज वर्तमान पता ग्राम बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 25 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 12वीं।
3- अभिषेक कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम गढ़ी चौखण्डी, थाना-फेस-3, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 23 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 11वीं।
4- अर्जुन पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी सरिता विहार, दिल्ली वर्तमान पता राम विहार, बन्थला, थाना-लोनी, गाजियाबाद, उम्र लगभग 38 वर्ष, शिक्षा- अनपढ़।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ **अभियुक्त आमिर खान उर्फ कालू--**

1- मु0अ0सं0- 047/2026 धारा 317 (2)/317(5) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 030/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0- 529/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
4- मु0अ0सं0- 087/2021 धारा 379/411/482 भादवि, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
5- मु0अ0सं0- 089/2021 धारा 414/482 भादवि, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्त योगेन्द्र चौहान उर्फ लंका--**

1- मु0अ0सं0- 047/2026 धारा 317 (2)/317(5) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 030/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0- 529/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
4- मु0अ0सं0- 179/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
5- मु0अ0सं0- 347/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
6- मु0अ0सं0- 493/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्त अभिषेक कुमार व अभियुक्त अर्जुन--**

1- मु0अ0सं0- 047/2026 धारा 317 (2)/317(5) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 030/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0- 529/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- चोरी के 15 लैपटॉप।
2- चोरी के 04 मोबाइल फोन।
3- मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL14ST5627
4- मोटरसाइकिल रजि0नं0-DL5SCP7588

2. थाना साइबर क्राइम व थाना फेस-1 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन, 03 फर्जी मोहर, 19 डेबिट/क्रेडिट/पैन कार्ड, 01 चेकबुक एवं कूटरचित दस्तावेज बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.01.2026** को **थाना साइबर क्राइम व थाना फेस-1 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व संकलित सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 05 अभियुक्त 1. दुर्गेश कुमार पुत्र शीशपाल सिंह 2. सोनू कुमार पुत्र चमन लाल 3. पुनीत सिंह पुत्र रंजीत सिंह 4. अमन शर्मा पुत्र अरजेश शर्मा 5.आलोक पुत्र अनिल कुमार को थाना फेस-1 क्षेत्रांतर्गत सेक्टर-06 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 05 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन, 03 फर्जी मोहर, श्रम विभाग की 11 कूटरचित आईडी, 19 डेबिट/क्रेडिट/पैन कार्ड, 01 चेकबुक एवं 03 बैंक खातों के स्टेटमेंट बरामद किए गए है ।

पूछताछ का विवरण/ अपराध करने का तरीका-- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करने की बात सामने आई है। अभियुक्तगण विभिन्न वेबसाइटों/पोर्टलों के माध्यम से नौकरी की तलाश कर

रहे अभ्यर्थियों का डाटा एकत्रित कर, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों से NCRP पोर्टल पर कुल 21 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं, जिनके माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तों द्वारा अपने बैंक खातों में करोड़ों रुपये प्राप्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मु0अ0सं0-27/2022 धारा 120-B/419/420/467/468/471 भादवि व 66-C/66-D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त सोनू कुमार एवं दुर्गेश कुमार को थाना सदर, गुरुग्राम (हरियाणा) पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित करने के आरोप में पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है ।

⇓ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. दुर्गेश कुमार पुत्र शीशपाल सिंह निवासी गुरुग्राम (हरियाणा), उम्र 32 वर्ष।
2. सोनू कुमार पुत्र चमन लाल निवासी गुरुग्राम (हरियाणा), उम्र 29 वर्ष।
3. पुनीत सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी उत्तम नगर, दिल्ली, उम्र 29 वर्ष।
4. अमन शर्मा पुत्र अरजेश शर्मा निवासी चिलकाना, सहारनपुर, उम्र 24 वर्ष।
5. आलोक पुत्र अनिल कुमार निवासी, बसंतपुर, सिवान (बिहार), उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 0013/2026 धारा 318(4),319(2),336(3),340(2),238,3(5),61(2) बीएनएस 66, 66-D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 05 लैपटॉप
2- 24 मोबाइल फोन
3- 03 फर्जी मोहर
4- श्रम विभाग की 11 कूटरचित आईडी
5- 19 डेबिट/क्रेडिट/पैन कार्ड, 01 चेकबुक एवं 03 बैंक खातों के स्टेटमेंट

साइबर जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव बिंदु--

1- नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी कॉल, ई-मेल या सोशल मीडिया संदेश पर तुरंत विश्वास न करें। किसी भी कंपनी की वैधता उसकी आधिकारिक वेबसाइट एवं अधिकृत ई-मेल डोमेन से अवश्य जांच लें।
2- नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग चार्ज, ट्रेनिंग फीस या जॉइनिंग फीस मांगना साइबर ठगी का सामान्य तरीका है। ऐसे किसी भी भुगतान से पहले सतर्क रहें।
3- अपना आधार, पैन, बैंक विवरण, ओटीपी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति या कॉल सेंटर को कदापि साझा न करें।
4- फर्जी पहचान पत्र, कूटरचित ऑफर लेटर अथवा अनाधिकृत मोबाइल नंबरों से प्राप्त कॉल पर संदेह होने पर तत्काल संवाद बंद करें और साक्ष्य सुरक्षित रखें।
5- किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत NCRP पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें अथवा 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क कर गौतमबुद्धनगर पुलिस को सूचित करें।

3. थाना जेवर पुलिस द्वारा नकद ₹20,00,000/- (20 लाख रुपये) की चोरी का किया खुलासा।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 30.01.2026 को वादी के घर की अलमारी में रखे नकद ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये) अज्ञात द्वारा चोरी कर लिए थे। उक्त समय वादी के घर पर कोई उपस्थित नहीं था। जब वादी अपने घर वापस आए, तो उन्होंने पाया कि उनकी अलमारी में रखे रुपये वहाँ से गायब थे। वादी ने तुरंत डायल-112 पर चोरी की सूचना दी। वादी द्वारा बताया कि जमीन बेचकर प्राप्त धनराशि को अलमारी में रखा था वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.01.2026** को **थाना जेवर पुलिस** द्वारा आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर **04 बालअपचारियों को** जावल ऋषि रोड के पास से **पुलिस अभिरक्षा में लिया गया** और उनसे नकद ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये) बरामद किए गए। चारों बाल अपचारी वादी के पड़ोस के है; बालअपचारियों से संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहजता से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने स्वयं बताया कि उन्हें थार कार (रंग काला) बहुत पसंद है और उन्होंने थार कार खरीदने के उद्देश्य से उक्त धनराशि चोरी की थी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 41/2026 धारा 305(a)/317 बीएनएस, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

नकद ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये)